दिनांक 05 फरवरी 2020, यात्रा परामर्श
दिनांक 05 फरवरी, 2020

संशोधित यात्रा परामर्श

चीन से आने वाले मामलों के संचारण और कई देशों में यात्रा से संबंधित मामलों को देखते हुए यात्रियों को निम्नलिखित की सलाह दी जाती है:

- भारतीय यात्रियों को चीन की यात्रा से परहेज करने की सलाह दी जाती है।

- चीन से भारत आने की योजना बनाने वालों के लिए:

- चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के लिए वर्तमान वीजा (पहले से जारी ई-वीजा सहित) वैध नहीं होगा।
- चीन जाने वाले लोगों को वापस आने पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
- यात्रा का इरादा रखने वाले भारतीय वीज़ा के लिए नये सिरे से आवेदन करने के लिए बीजिंग स्थित दूतावास (visa.beijing@mea.gov.in) या शंघाई स्थित वाणिज्य दूतावास (Ccons.shanghai@mea.gov.in) और ग्वांगछू (Visa.guangzhou@mea.gov.in) में संपर्क कर सकते हैं।
- चीन स्थित भारतीय दूतावास में दो हॉटलाइन नंबरों+8618610952903 और +8618612083629 और समर्पित ई-मेल helpdesk.beijing@mea.gov.in. पर 24x7 संपर्क किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता के लिए भारतीय नागरिक इन हॉटलाइनों और ई-मेल पर दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की पूछताछ के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नम्बर +91-11-23978046 अथवा ई-मेल ncov2019@gmail.com पर 24x7 संपर्क किया जा सकता है।